कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी

जिला-मनेन्द्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

मनेन्द्रगढ दिनांक 19.07.2023

क्रमांक/1223/स्थापना/टी-संवर्ग/2022-23/ वायरल विडियो के घटित घटना के संबध में शासकीय प्राथमिक शाला जोलगी के प्रकरण की जांच उपरांत विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भरतपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्राप्त शिकायत एवं वायरल विडियो की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है। श्री शम्भूदयाल वर्मा प्रधान पाठक प्राथमिक शाला जोलगी विकासखण्ड भरतपुर का विद्यालय के भीतर बच्चों के सामने गाँजा/हुक्का नामक मादक पदार्थ का सेवन करते हुए नशे में विद्यालय में उपस्थित होना सत्य पाया गया है। इनका यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 23 एवं 3 के सर्वथा विपरीत होने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 उपनियम 1 (क) के अनुसार श्री शम्भूदयाल वर्मा प्रधान पाठक प्राथमिक शाला जोलगी विकासखण्ड भरतपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी खड़गवां जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है। इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

19.7.2023

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला मनेन्द्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर

पृ.क्र. 1224/स्थापना/टी-संवर्ग/2022-23/ मनेन्द्रगढ दिनांक 19.07.2023

प्रतिलिपिः-

1. कलेक्टर, जिला एम.सी.बी. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक (शिक्षा) सरगुजा संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. जिला कोषालय अधिकारी जिला एम.सी.बी. को सूचनार्थ।
4. विकाखण्ड शिक्षा अधिकारी भरतपुर, जिला -मनेन्द्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर(छ.ग.) को सूचनार्थ कर लेख है कि निलंबित कर्मचारी को आदेश की प्रति तत्काल तामिल करावें एवं पावती अभिस्वीकृती इस कार्यालय को देवें।
5. विकाखण्ड शिक्षा अधिकारी खड़गवां जिला - मनेन्द्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रधान पाठक प्राथमिक शाला जोलगी विकासखण्ड भरतपुर को सूचनार्थ।
7. संबंधित श्री शम्भूदयाल वर्मा प्रधान पाठक प्राथमिक शाला जोलगी विकासखण्ड भरतपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

19.7.2023

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला मनेन्द्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर